

झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गान्धा विकास विभाग

पत्रांक : ३/कृ० रा० भ० ० - ०४/२००९-१० ६१५८ रांची/दिनांक: २१-१०-०९

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

निदेशक, कृषि
झारखण्ड, रांची।

विषय : राज्य के किसानों को किसान केफिल कार्ड द्वारा कृषि ऋण सुविधा के लिए के ० सी० सी० के पर्याप्त आवेदन पत्रों को बैंकों को उपलब्ध कराने के संबंध में

प्रसंग: स्टेट लेवल बैंकर्ट कमिटी, झारखण्ड का पत्रांक एस०एल०बी०सी०/ए०बी०/१०७/४१७, दिनांक २३.०९.२००९ एवं सार्विक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यालयन विभाग, झारखण्ड, रांची का पत्रांक १११५ दिनांक १५.१०.२००९

महाशय,

उक्त विषय के कम में कहना है कि झारखण्ड राज्य के अन्दर लगभग ३९ लाख किसान वर्ष २००१ के जनगणना के अनुसार है, जबकि लगभग ९ लाख किसानों को ही अभी तक किसान केफिल कार्ड गिला हुआ है। यह संख्या अत्यन्त कम है, जिसके कारण राज्य में लगभग २५०० करोड़ की वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध कृषि क्षेत्र में वर्ष २००८-०९ ने ऋण प्रवाह मात्र ९५० करोड़ के करीब था। वित्तीय वर्ष २००९-१० में जून तिमाही तक यह ऋण मात्र २१३ करोड़ के करीब था।

उक्त से स्पष्ट है कि कृषि के क्षेत्र में ऋण एक बड़ी समस्या है। इसके निवाप के लिए विभाग द्वारा एस०एल०बी०सी० के सहयोग से एक help desk रांची अमरुक्ता, झारखण्ड द्वारा नियमित गोनिटरिंग की जा रही है जिसके कारण इस वित्तीय वर्ष में अबतक लगभग १ लाख किसानों को किसान केफिल कार्ड मुहैया कराया गया है।

Dictation

उक्त प्रयास में तेजी लाने के लिए सुखाह के मद्दे बजर special task force की 19.09.2009 की बैठक प्रधान सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यालयन विभाग, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में हुई थी जिसमें निम्न निर्णय लिए गए थे :

"Director Agriculture should implement the decision taken in the last meeting held on 8th September, 2009, for sponsoring of KCC proposal/application forms which should be complete in all respects to bank branches with the assistance of District Agriculture Officers "

अतः उक्त के कम मे निर्देश है कि आप इसका नियमित मोनिटरिंग कराए और प्रत्येक पंचायतवार कम से कम 100 प्रगतिशील किसानों को वित्तीय वर्ष 2009-10 में किसान कॉडेर्ट कार्ड उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग करें। उक्ते आवेदन पत्रों को पूर्णतः पूर्ण तरीकों से भरकर, बैंकों तक पहुंचाया जाए। इस हेतु आप आपने अधीनस्थ को दिशा-निर्देश दे तथा साप्ताहिक मोनिटरिंग on-line करें एवं प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराए।

इस हेतु आवश्यक होगा कि बैंकों से तथा help desk के सम्पर्क मे बने रहें।

इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

तिथ्यारा भाजन

Ap 30/10/09

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :

6153

रांची/दिनांक : 31-10-09

प्रतिलिपि : विकास आयुक्त के सचिव, झारखण्ड सरकार/प्रधान सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यालयन विभाग, झारखण्ड, रांची/विशेष सचिव, कृषि एवं गन्जा विकास विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्य प्रबंधक, छत्तीसगढ़ बैंक सह समन्वयक, एस0एल0बी0सी0, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

Ap 30/10/09
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :

6158

रांची/दिनांक : 31-10-09

प्रतिलिपि : निदेशक कृषि/सामेंट/भूमि संरक्षण/उद्यान/राज्य बागवानी मिशन, झारखण्ड, रांची/संयुक्त कृषि निदेशक, रांची/दुमका/हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 30/10/09
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :

6158

रांची/दिनांक : 31-10-09

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 30/10/09
सरकार के सचिव।

-ट्रैकिंग नं. 1